उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

सं0 4015-औस-17/पाकालि/2003-11(11)एफ/86टी.सी. दिनांक 16 अगस्त 2003

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरणों का निस्तारण क्षेत्रीय स्तर से वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन सम्बन्धी कारपोरेशन के आदेश सं0 1815-औस-17/पाकालि/2002-11(11)एफ/86, दिनांक 20.5.2002 में निहित प्राविधानुसार किये जाने की व्यवस्था है। ऐसा देखा गया है कि सेवानिवृत्त कार्मिकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरण उचित माध्यम से सम्बंधित सक्षम अधिकारी तक पहुँचने में काफी विलम्ब हो जाता है, जिससे सम्बंधित सेवानिवृत्त कार्मिक को दिक्कत होती है।

अतः एतद्द्वारा यह व्यवस्था प्रतिपादित की जाती है कि सेवा-निवृत्त कार्मिक अपने चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरण सम्बंधित खण्ड जहाँ से वे पेंशन प्राप्त करते है के अधिशासी अभियन्ता को प्रस्तुत करेंगे, जिसे अधिशासी अभियन्ता परीक्षणोपरान्त सीधे अपने स्तर से सम्बंधित सक्षम अधिकारी जिनके द्वारा वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाना है, को प्रस्तुत किया जाए, जिससे कि सेवानिवृत्त कार्मिकों के चिकित्सा प्रकरणों का शीघ्रता से निस्तारण हो सके एवं अकारण विलम्ब न हो।

निदेशक (का.प्र. एवं प्रशासन)

सं0 4015-1-औस-17/पाकालि/2003 तद्दिनांक 16/8/2003

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा0 ऊर्जा मंत्री जी, उ0प्र0शासन के निजी सचिव।
2. प्रमुख सचिव (ऊर्जा) उ0प्र0शासन, लखनऊ
3. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ
4. समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0
5. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
6. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई (पेंशन प्रकोष्ठ) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ
7. अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद, उ0प्र0, 103, कीर्तिशिखा अपार्टमेण्ट, 22-आफ स्टेशन रोड, छितवापुर भुइयन, लखनऊ
8. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (उ.नि.) शक्ति भवन, लखनऊ
9. कट फाइल।

आज्ञा से,

(रवि प्रकाश मिश्र)
कार्मिक अधिकारी